



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
CIN : U40101UP1980SGC005065

संख्या : 1918/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2017-3(11)-मा०सं०(04)/2017 दिनांक :- 29 दिसम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञाप

विषय:- उ०प्र०राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को उ०प्र० शासन के आदेशों की अनुरूपता में दिनांक 01.01.2016 से पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण का पुनरीक्षण अनुमन्य कराया जाना।

उपरोक्त विषय पर उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के निदेशक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय एवं उ०प्र० शासन के पत्रांक-07/2017/1758/24-पी-2-17-सा०(144)/17, दिनांक 27.12.2017 तथा उ०प्र०पा०का०लि० के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1320-पे०एवंआर०-28/पाकालि/2017-60-पी/98(टी०सी०-1) दिनांक 29.12.2017 के अनुक्रम में उ०प्र०राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन/अशक्तता पेंशन/ग्रेच्युटी एवं पेंशन राशिकरण की दरों को उ०प्र० शासन की अनुरूपता में दिनांक 01.01.2016 से संशोधित/पुनरीक्षित कराये जाने हेतु उ०प्र० शासन, वित्त (सामान्य) अनुभाग-03 के निम्नलिखित आदेशों (प्रतिलिपि संलग्न) में प्राविधानित व्यवस्थाओं का क्रियान्वयन निम्नवत आदेशित किया जाता है:-

क्रम सं०	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	विषय
1	सं०-38/2016-सा-03-921/दस/2016/308/2016 दिनांक 23.12.2016	दिनांक 01.01.2016 अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/दिवंगत कर्मियों के पेंशन/ पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी/पेंशन राशिकरण के प्राविधानों का दिनांक 01.01.2016 से संशोधन।
2	सं०-39/2016-सा-03-923/दस/2016/308/2016 दिनांक 23.12.2016	दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत हो चुके पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण किया जाना।
3	सं०-23/2017/सा-3-329/दस-2017/308/2016 दिनांक 18.07.2017	दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत कर्मिक को उनके सेवानिवृत्त/दिवंगत होने की तिथि को अनुमन्य अन्तिम वेतन का पुनरीक्षण उनके सेवानिवृत्त/दिवंगत होने के पश्चात विभिन्न वेतन आयोगों की संस्तुतियों के अनुसार प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षित किया जाना एवं इस प्रकार दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित प्रकल्पित वेतन के आधार पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण किया जाना।
4	सं०-31/2017/सा-3-524/दस-2017/308(8)/2016 दिनांक 04.09.2017	दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत कर्मिक को उनके सेवानिवृत्त/दिवंगत होने की तिथि को अनुमन्य अन्तिम आहरित वेतन का पुनरीक्षण उनके सेवानिवृत्त/दिवंगत होने के पश्चात विभिन्न वेतन आयोगों की संस्तुतियों के अनुसार प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षित किये जाने सम्बन्धी वेतन पुनरीक्षण का रेडीरेकनर (Ready reckner) जिसके सिद्धान्तों के आधार पर पेंशन की धनराशि में बढोत्तरी होने पर तदनुसार दिनांक 01.01.2016 से पेंशन का संशोधन किया जाना है। सम्बन्धित शासनादेश के सिद्धान्तों के अनुसार तत्कालीन राज्य विद्युत परिषद सम्व्रति उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं उ०प्र०राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० में अपनी पूर्व से प्रभावी विभिन्न वेतन आयोगों के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचनाओं में वेतन का नोशनल निर्धारण कराये जाने एवं तदनुसार पेंशन के पुनरीक्षण की कार्यवाही अपेक्षित होगी।

(iii) दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन का दि० 01.01.2016 से पुनरीक्षण राजकीय पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश सं०-39/2016-सा-03-923/दस/2016/308/2016 दिनांक 23.12.2016 के अनुसार कोषागार स्तर पर किया जायेगा।

(iv) राजकीय पेंशनरों की पेंशन संशोधन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश 23/2017/सा-3-329/दस-2017/308/2016 दिनांक 18.07.2017 के अनुसार एवं शासनादेश सं०-31/2017/सा-3-524/दस-2017/308(8)/2016 दिनांक 04.09.2017 के सिद्धान्तों के अनुसार तत्कालीन राज्य विद्युत परिषद सम्प्रति उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं उ०प्र०राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० में पूर्व से विभिन्न वेतन आयोगों में लागू वेतनमानों में वेतन का नोशनल निर्धारण की कार्यवाही परियोजनाओं/सम्बन्धित इकाईयों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा की जायेगी तथा पेंशन निर्धारण हेतु आवश्यक अभिलेख नोशनल वेतन निर्धारण के आदेश सहित निदेशक, पेंशन/मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन को प्रेषित किये जायेंगे। उ०प्र०राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के सेवानिवृत्त कार्मिकों में से ऐसे कार्मिक जो राज्य सरकार में समूह- 'क' के समतुल्य पदों से सेवानिवृत्त हुये हों, के प्रकरण निदेशक, पेंशन को तथा समूह- 'ख' एवं समूह- 'ग' के समतुल्य पदों से सेवानिवृत्त पेंशनरों के प्रकरण सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन को प्रेषित किये जायेंगे। समूह- 'घ' के पेंशनरों के प्रकरण सम्बन्धित परियोजना/इकाई के अधिकृत अधिकारियों के द्वारा पूर्व की भांति निस्तारित किये जायेंगे।

(v) दिनांक 01.01.2018 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी उपर्युक्तानुसार निदेशक, पेंशन/मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन होंगे। उक्त तिथि को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों के सेवानिवृत्तिक लाभ के प्रकरण उ०प्र०राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के निवर्तमान पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारियों के स्थान पर निदेशक, पेंशन/मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

(vi) समूह- 'घ' के सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी सम्बन्धित परियोजना/इकाई के इस सम्बन्ध में पूर्व में अधिकृत अधिकारी ही होंगे।

संलग्नक : यथोपरि।

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या : 1918 / सा०सं०-04 / उ०नि०लि० / 2017 / तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (तकनीकी/वित्त/कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/परियोजना एवं वाणिज्य), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, विस्तार, लखनऊ के स्टाफ आफिसर/निजी सचिव।
3. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ को शासनादेश संख्या-1/2016/41/24-पी-2-16-सा० (84)/2014 दिनांक 13.01.2016 एवं शासन के पत्रांक-07/2017/1758/24-पी-2-17-सा०(144)/17, दिनांक 27.12.2017 के संदर्भ में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया पेंशन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में उपरोक्त संदर्भित शासनादेशों के अनुसार राजकीय पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही की अनुरूपता में उ०प्र०राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के सम्बन्ध में कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

